संख्या :१९५/XXXVI (1)/2010–75/07–भाग–1

प्रेषक,

श्री प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर, 2010

विषयः–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु अधिवक्तागण को आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या :192/XXXVI (1)/2007–75/07 भाग–1 दिनांक 24 सितम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरांत मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एक वर्ष के लिये तत्काल प्रभाव से आबद्ध करने का निर्णय लिया है :–

क्र. स.	अधिवक्तागण का नाम	पद नाम
1	2	3
1–	श्री दिनेश गहतोड़ी	स्थायी अधिवक्ता
2–	श्री हरिओम भाकुनी	ब्रीफ होल्डर
3–	श्री अनिल कुमार बिष्ट	ब्रीफ होल्डर (सिविल)
4–	श्री शिवा नन्द	ब्रीफ होल्डर (फौजदारी)
5–	श्री प्रेम सिंह बोहरा	ब्रीफ होल्डर
6–	श्री चन्द्रशेखर	ब्रीफ होल्डर
7–	श्री सुशील वशिष्ट	ब्रीफ होल्डर (सिविल)

2– उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है । इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं । क्रमांक–1 पर उल्लिखित अधिवक्ता अपनी आबद्धता की अवधि में उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही

राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे । श्री गहतोड़ी को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेगें कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3– क्रमांक–2, 4, 5 ,6 और 7 पर उल्लिखित अधिवक्तागण क्रमशः श्री हरिओम भाकुनी, श्री शिवानन्द, श्री प्रेमसिंह बोहरा, श्री चन्द्रशेखर और श्री सुशील वशिष्ठ को कार्यभार तभी ग्रहण कराया जायेगा जब उक्त अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों से आप संतुष्ट हो जायेंगे कि उन्हें मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय का न्यूनत्तम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त है ।

4– उक्त आबद्ध अधिवक्तागण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस आशय का प्रमाण–पत्र भी महाधिवक्ता को प्रस्तुत किया जाना होगा कि वे सम्बन्धित पद हेतु विधि परामर्शी निर्देशिका में उल्लिखित अर्हता पूर्ण करते हैं ।

5– उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को न्याय विभाग के शासनादेश संख्याः 67–XXXVi (1)/2010-43–एक(1) /2003 दिनांक 25 मार्च, 2010 के अनुसार फीस देय होगी ।

6– कृपया उक्त अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तद्नुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या :१५५/XXXVI (1)/2010–75/07–भाग–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4– अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
5– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
7– मुख्य स्थाई अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
8– सम्बन्धित अधिवक्तागण ।
9– एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव ।

64–8